बीस रुपये TWENTY COURT FEE भारत पाँच रुपये FIVE पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5 INDIA

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

निग – 1239 – II – 16

महिला कलाबती पत्नि स्व0 हल्काई रजक ,

निबासी मउघाट , हाल निबासी– देवरदा ,

तहसील वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

श्री ... द्वारा आज दि. 20/4/16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

.................आवेदिका

वनाम

1– म0 प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़,

2– गोरेलाल तनय मनु धोबी ,

3– मथुरा तनय मनु धोबी ,

4– जगदीश तनय मनु धोबी ,

ग्राम मउघाट , तहसील जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

5– दिनेश कुमार तनय राज राज सिंह श्रीवास्तव

निबासी–सिविल लाईस टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0

20-4-16

......................अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959:–

आवेदिका की ओर से निम्न प्रर्थना है :–

1– यह कि आवेदिका यह निगरानी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 39/अ6/2015–16 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15/03/2016 से परिवैदित होकर कर रही

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 239/IV/2016 जिला– टीकमगढ़

स्थान तथा दनांक	कार्यवाही तथा आदेश कलावती वनाम गोरेलाल व अन्य	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.4.16	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता ने यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 39/अ–6अ/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 15/03/2016 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की है। निगरानी के साथ जो सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें प्रमुख रूप से तहसीलदार टीकमगढ़ के आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संपूर्ण आदेश पत्रिकायें , हल्का पटवारी का प्रतिवेदन एवं पंचनामा दिनांक 15/02/2016 की प्रमाणित प्रतलिपि प्रस्तुत की गई है। साथ ही सूची के साथ अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़, द्वारा प्रकरण कमांक 64/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 23/12/2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति, ग्राम मउघाट की निर्वाचक नामावली बर्ष 1966, 1971 एवं 1975 की प्रमाणित प्रतिलिपियों की छाया प्रतिलिपियां प्रस्तुत कीं गई हैं। आवेदिका अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये। प्रश्नाधीन आदेश एवं संलग्न दस्तावेजों को अवलोकन किया गया। 2– यह कि ग्राम मउघाट में हल्काई तनय मनुवां नामक ब्यक्ति के नाम से खसरा नंबर 87/9 में 1.517 हैक्टेयर भूमि भूमि–स्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज थीं। उपरोक्त भूमियों का नामांतरण ग्राम मउघाट की नामांतरण पंजी कमांक 11 पर रानि टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 02/03/1993 के द्वारा अनावेकदगण कमांक 02 से 04 के नाम पर नामांतरित की गई है। जिससे परिवेदित होकर आवेदिका द्वारा एक अपील अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़, के समक्ष इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि आवेदिका मृतक भूमि स्वामी हल्काई की ब्याहिता पत्नि है , हल्काई के नाम की भूमि पर आवेदिका का नाम दर्ज होना चाहिये था, जो न करके गलत सिजरा के आधार पर अनोवदकगण के नाम दर्ज कर दिये गये हैं। उपरोक्त अपील अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्र0 क0 64/अपील/2010–11 पर दर्ज करके पारित आदेश दिनांक 23/12/2015 के द्वारा स्वीकार करके नामांतरण पंजी कमांक 22	

पर रानि द्वारा पारित आदेश दिनांक 02/03/1993 निरस्त कर दिया।

3— यह कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़ के समक्ष एक आवेदनपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि हल्काई तनय मुलुवा धोबी के स्थान पर आवेदिका का नाम दर्ज किया जावे। जिसे प्रकरण कमांक 39/अ6अ/2015—16 पर दर्ज करके तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा पटवारी से प्रतिवेदन प्रस्तुत कराया गया, जो पटवारी द्वारा मय पंचनामा के दिनांकित 16/02/2016 दिनांक 29/02/2016 को प्रस्तुत किया गया। अनावेदकगण द्वारा दिनांक 15/03/2016 को सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। जिनके आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 15/03/2016 को आदेश पारित करके वाद भूमि पर पूर्ववत मृतक हल्काई के भाईयों के नाम वारिसान हक में दर्ज करने का आदेश इस आधार पर पारित किया गया है कि मृतक हल्काई की बीमारी के समय आवेदिका उसे बीमारी की हालत में छोड़कर देवरदा चली गई थी, व लटोरा से शादी कर ली थी। दूसरी जगह शादी हो जाने से पृथक जगह का स्वत्व स्वतः समाप्त हो जाता है।

4— यह कि मेरे द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 15/03/2016 एवं संलग्न दस्तावेजों का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। यह तथ्य निर्विवादित है कि प्रकरण की वादग्रस्त भूमि हल्काई के नाम से भूमि स्वामी के रूप में दर्ज थी। जिसका नामांतरण, नामांतरण पंजी कमांक 11 पर पारित आदेश दिनांक 02/03/1993 के द्वारा अनावेदक कमांक 02 से 04 के नाम से किया गया था। जिसकी अपील होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23/12/2015 को उपरोक्त पंजी पर पारित नामांतरण आदेश निरस्त कर दिया है। जिसके आधार पर आवेदिका द्वारा पुनः नामांतरण की कार्यवाही वावद तहसीलदार टीकमगढ़ को आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से प्रतिवेदन लिया गया तथा अनावेदकगण को आहूत किया गया। पटवारी द्वारा दिनांक 16/02/2016 को एक प्रतिवेदन एवं पंचनामा ग्राम में जाकर तैयार किया गया। जिसमें उसके द्वारा आवेदिका को मृतक हल्काई की पत्नि होना बताया गया है। पंचनामा में भी ग्राम बासियों द्वारा जो तस्दीक किया गया है , में भी हल्काई की पत्नि आवेदिका को बताया गया है। जिस पर अनावेदकगण द्वारा आपत्ति नहीं की गई है। आवेदिका की ओर से बर्ष 1966 , 1971 , एवं 1975 की मतदाता सूचियों की प्रमाणित प्रतिलिपि की छाया प्रतियां प्रस्तुत कीं गई हैं , उनमें 1966 की नामांतरण पंजी पर कमाक 231 पर हल्काई तनय मनुवा का नाम दर्ज है , बर्ष 1971 की मतदाता सूची में कमांक 151 पर कलावती

हल्काई का नाम दर्ज है , इसी प्रकार 1975 में भी कमांक 167 पर कलावती हल्काई का नाम दर्ज है। आवेदिका द्वारा जो अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23/12/2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है, उसका अवलोकन किया गया, जिसमें पैरा दो में स्पष्ट किया गया है कि अनावेदकगण द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि आवेदिका हल्काई की व्याहिता पत्नि है। यह तथ्य भी अपनी लिखित तर्क में स्वीकार किया है कि अपीलार्थिया जो इस न्यायालय में आवेदिका है के द्वारा हल्काई की मृत्यु के उपरांत दूसरी शादी ग्राम देवरदा में कर ली थी। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार जब कोई महिला अपने पति की मृत्यु के उपरांत दूसरी शादी कर लेती है तो वह पूर्व पति की चल अचल संपत्ति पर अपना अधिकार स्वयं खो देती है। इससे स्पष्ट है कि जिस दिन भूमि स्वामी हल्काई फौत हुआ है, उस दिन आवेदिका उसकी ब्याहिता पत्नि थी। अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष यह आधार लिया है कि आवेदिका हल्काई को बीमार छोड़कर चली गई थी। जिससे यह तथ्य सामने आया है कि अनावेकदगण उपरोक्त भूमि पर अपना नाम दर्ज करवाने के लिये आपस में बिरोधी आधार ले रहे हैं। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लिखित तर्कों में आधार लिया है कि आवेदिका हलकाई की मृत्यु के बाद दूसरी शादी ग्राम देवरादा में कर ली तथा बाद में तहसीलदार के समक्ष यह आधार ले रहे हैं कि हल्काई के सामने ही बीमारी की हालत में उसे छोड़कर देवरदा चली गई थी। जिन्हें मान्य नहीं किया जा सकता है।

5— यह कि अनावेदकण द्वारा जो साक्षी तहसीलदार के समक्ष अपने समर्थन में प्रस्तुत किये गये हैं , वह ग्राम मउघाट के ही हैं, जो पंचनामा प्रस्तुत किया गया है, वह भी ग्राम मउघाट के ही लोगों द्वारा तैयार हस्ताक्षर कराकर प्रस्तुत किया गया है। चूँकि अनावेदकगण ग्राम मउघाट में ही निबासरत हैं तथा आवेदिका ग्राम देवरदा में निबासरत है, इस कारण से अनावेकदगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं पंचनामा मान्य करने योग्य नहीं था। उपरोक्त साक्ष्य एवं पंचनामा साक्षियों द्वारा अनावेदकगण के दबाब में आकर प्रस्तुत किये हैं। जिनके प्रतिपरीक्षण का विधिवत अवसर भी आवेदिका को प्रदान नहीं किया गया है, सीधे शपथपत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने पर प्रकरण आदेशार्थ नियत कर दिया गया है। संलगन दस्तावेज प्रदर्श नही कराये गये हैं। जिस कारण से वे साक्ष्य में ग्रहय योग्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गंई कार्यवाही विधि विरूद्व व नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत के विपरीत है ।

6— यह कि जहां तक वाद भूमि पर वारिसान हक में नामांतरण

का प्रश्न है , तो इस प्रकम पर यह देखा जाना है कि हल्काई की मृत्यु के उपरांत उसके नाम से दर्ज वादग्रस्त भूमि पर किसका नाम दर्ज होना चाहिये था। इस संबंध में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 06 के आधार पर यह स्पष्ट है कि यदि कोई ब्यक्ति निर्वसीयती तौर पर मृत हो जाता है और उसका बैवाहिक संपत्ति में कोई हक होता है तो वह उसके पीछे महिला सदस्य को छोड़ जाता है तो, मामला हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में प्रावधानों के अनुसार शासित होगा। अविवादित तौर पर मृतक सहदायिक की विधवा उत्त्राधिकारी की अनुसूची के वर्ग एक में आती है। इस कारण से वह मृतक के संपूर्ण अधिकार को अर्जित कर सकेगी। (वसंता वनाम श्रीमति लक्ष्मी बाई, 2000(1) एमपीडव्ल्यूएन139 म0 प्र0) । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अनुसार निर्वसीयती मरने बाले हिन्दु पुरूष की संपत्ति प्रथमतः अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट वारिसों को प्राप्त होगी। जिनमें वर्ग एक की वारिस पुत्र ,पुत्री , विधवा, माता व अन्य हैं। आवेदकगण का कम वर्ग दो के वारिसों में कमांक चार पर आता है। इस प्रकार से वादग्रस्त भूमि पर आवेदिका का नाम हल्काई के उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज होना चाहिये था। ए0आई0आर0 1966, कलकत्ता 47 में ब्यवस्था प्रदान की गई है कि– भाई को मृतक की संपत्ति पाने का अधिकारी माना गया, जबकि मृतक अन्य को निकटबर्ती उत्तरजीबी नहीं छोड़ गया हो। इस प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि आवेदिका हलकाई की विवाहिता पत्नि हैं, हल्काई की मृत्यु दिनांक को वह हल्काई की पत्नि थी, उसका तलाक नहीं हुआ था , और ना ही उभयपक्षों द्वारा इस आशय का कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिससे आवेदिका का हक विलोपित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार करके तहसीलदार द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15/03/2016 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण की वाद भूमि पर हल्काई के स्थान पर उसकी पत्नि कलावती/आवेदिका का नाम वारिसाना हक में भूमि–स्वामी के रूप में दर्ज किया जाबे। सर्व संबंधित सूचित हो। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दा0 द0 हो।

सदस्य